

पत्र संख्या ::सी०सी०टी० / निरी०अनु० / टैक्स ऑडिट(2018-19) / 1394 / 18/19076 / वाणिज्य कर
कार्या०-कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
{ निरीक्षण-अनुभाग }
लखनऊ : दिनांक 24 ,दिसम्बर, 2018

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(टैक्स ऑडिट)
समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर(कार्यपालक),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

मुख्यालय पर दिनांक 24.09.2018 को आहूत टैक्स ऑडिट की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशानुसार टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करने हेतु साफ्टवेयर तैयार करा लिया गया है।

उक्त माड्यूल में अपलोड / View हेतु VYASASSESSMENT Module पर निम्नानुसार Login करेंगे:-

- Step 1- Login with valid credetial on VYASASSESSMENT Module
- Step 2- Select Assessment ► File Upload for Tax Audit menu option
- Step 3- Enter the TIN and click on "Submit" button the details are shown on the screen. After that select assessment year and browse the file from the system which are uploaded and press the "Save" button.
- Step 4- The uploaded file will be successfully saved in database.
- Step 5- Select Register R5A ► R5A Entry from menu option.
- Step 6- Enter TIN, if Tax Audit report is uploaded on this TIN a "View Tax Audit Report" button will be appear on the screen.
- Step 7- Click on "View Tax Audit Report" a page will appear. After that click on "Download" link for download uploaded file.

उक्त माड्यूल पर वर्ष 2016-17 के तैयार किए गए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जो मैनुअली प्रेषित की गई है, को दिनांक 31.12.2018 तक अपलोड कराना सुनिश्चित करें, साथ ही अब आगे से समस्त आडिट रिपोर्ट माड्यूल पर ऑनलाइन अपलोड किया जाए।

कर निर्धारण अधिकारी उपर्युक्त माड्यूल पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट को View करके आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाये।

यह पत्र माननीय कमिश्नर, महोदया के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(अजीत कुमार शुक्ला)
एडीशनल कमिश्नर(विधि)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।